

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

विषय— विवादित संपत्ति के संबंध में खाते में प्राप्त धनराशि के संदर्भ में।

महोदय,

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती ऊर्मिला देवी के नाम पर एक मकान खसरा नं०-14 मि० ग्राम मौहम्मदपुर धेदा, परगना जलालाबाद, त० मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित था, जिसके बावत मेरे रिश्तेदार श्रीमती ऊषा यादव के मध्य लेकर विवाद चल रहा था और उस मकान के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ऊषा यादव द्वारा मूलवाद सं० 695/2014, श्रीमती ऊषा देवी बनाम ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, न्यायालय सिविल जज सी०डि०, गाजियाबाद में संस्थित किया था और दौराने विचारण मेरे और श्रीमती ऊषा यादव के मध्य दिनांक 16.04.2019 को समझौता हो गया था। समझौते के अनुसार उपरोक्त मकान मेरे द्वारा श्रीमती ऊषा यादव के पक्ष में छोड़ दिया गया और अपने भाग के परिप्रेक्ष्य में मु० 15,00,000/- रूपये श्रीमती ऊषा यादव ने अपने पति श्री कृष्णपाल यादव के खाते से दिनांक 15.04.2019 को बजरिये एन०ई०एफ०टी० नं० पी०19041528715680 बैंक ट्रेड टैक्स बिल्लिंग, राजनगर, शाखा गाजियाबाद से मेरे खाता सं० 11120779688 एस०बी०आई० बैंक शाखा अलीगढ़ में अंतरित कर दिये थे और उपरोक्त वाद न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया। इस वाद के बाद उभय पक्षों के मध्य इस संपत्ति को लेकर अब कोई विवाद नहीं है और उपरोक्त धनराशि में से मु० 12,00,000/- रूपये मेरे द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शिखा यादव के खाता सं० 30363824829 एस०बी०आई० बैंक, बिसौली, बंदायू में दिनांक 14.03.2020 को अंतरित कर दिये गये थे।

सूचनार्थ माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक: 06.01.2022

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं० 7, मुरादाबाद।

संलग्नक—

1. डिक्री व समझौतानामा की छायाप्रति।
2. बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।